

# Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 39-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 2019 (PHALGUNA 8, 1940 SAKA)

### हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

तथा

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

# अधिसूचना

दिनांक 27 फरवरी, 2019

संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/आर.ई.(डी.एच.ए.)/एफ.डी.पी.—2021/2019/579.— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 203ग की उप—धारा (7) तथा पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उप—धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग तथा नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या— सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)/आर.ई.(डी.एच.ए.)/एफ.डी.पी./2016/3311, दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 के प्रतिनिर्देश से हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28 दिसम्बर, 2007 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या— सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/आर.ई. (डी.एच.ए.)/एफ.डी.पी./2007/4496, दिनांक 28 दिसम्बर, 2007 द्वारा अधिसूचित धारूहेड़ा की अंतिम विकास योजना, 2021 ए.डी. में अनुबन्ध क तथा ख में दिये गये निर्बन्धनों तथा शर्तों सहित, जो अनुबन्ध ख में विनिर्दिष्ट नियन्त्रित क्षेत्र को लागू है, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

# संशोधन

हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या— सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/आर.ई. (डी.एच.ए.)/एफ.डी.पी./2007/4496, दिनांक 28 दिसम्बर, 2007 में,—

I. अनुबन्ध—क में, 'प्रस्तावित भूमि उपयोग' शीर्ष में, "1 रिहायशी" उप— शीर्ष में, तीसरी पंक्ति में," 300 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर की औसत रिहायशी घनत्व मानकर रिहायशी उपयोग के लिए 700 हैक्टेयर क्षेत्र रखा गया है।" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:—

"रिहायशी उपयोग के लिए 725 हैक्टेयर क्षेत्र रखा गया है। दोनों ओर से 20 प्रतिशत की विभिन्नता सिहत प्रत्येक रिहायशी सैक्टर ड्राईंग में दर्शाई गई सैक्टर सघनता में विकसित किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी तथा 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी में यथाविहित सघनता आवासीय सैक्टर में भी लागू होगी।

इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा क्रमशः 17 मई, 2018 तथा 26 जून, 2018 को शुरू की गई 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)' तथा कोर क्षेत्र के लिए अफोर्डऐबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी 2018 यथा अद्यतन संशोधित के अनुसार विकास की अनुमति दी जाएगी।"

- II. अनुबन्ध ख में,-
  - (1) 'II परिभाषाऐं' उप-शीर्ष में, -
    - (i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातु:-
      - '(क) "अनुमोदित" से अभिप्राय है सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित;
    - (ii) खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्;— '(ख क) "भवन संहिता, से अभिप्राय है, हरियाणा भवन संहिता, 2017;'
    - (iii) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
      - '(घ) "फर्श क्षेत्र अनुपात" से अभिप्राय है, सभी मंजिलों के कुल आच्छादित क्षेत्र तथा सौ के गुणक को प्लाट क्षेत्र से विभाजित करते हुए प्राप्त किया गया भागफल, अर्थात् :—

फर्श क्षेत्र अनुपात = <u>कुल आच्छादित क्षेत्र</u> x 100 प्लाट क्षेत्र

फर्श क्षेत्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, कैंटिलीवरड अनुमत छत अनुमानों, लिफ्ट कमरा, ममटी, छज्जा, तहखाना या कोई फर्श, यदि पार्किंग, सेवाओं और भंडारण, केवल पार्किंग / पैदल यात्री प्लाजा के लिए उपयोग हेतु प्रस्तावित स्टिल्ट क्षेत्र (खुला), खुली सीढ़ी (ममटी के बिना), पहुंच के साथ या के बिना छत अग्नि सीढ़ी, अलिंद, पानी की टंकी, अनुमत आकार के खुला आंगन के लिए उपयोग किया गया है, क्षेत्र अनुपात में गिना नहीं जाएगा:

परंतु स्टिल्ट से अगली मंजिल तक शाफ्ट, शूटस, लिफ्ट, वैल तथा सीढ़ी के अधीन क्षेत्र, भूमि तल से फर्श क्षेत्र अनुपात केवल एक बार गिना जाएगा :

परंतु यह और कि यदि वेंटिलेशन शाफ्ट क्षेत्र 3 वर्ग मीटर से अधिक है, तो यह फर्श क्षेत्र अनुपात में नहीं गिना जाएगा ;'

- (iv) खण्ड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
  - '(ड.) "वर्ग आवास" से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए फलैटों के रूप में डिजाईन तथा विकसित किये गये भवन या वर्ग आवास का अनुषंगी कोई भवन;';
- (v) खण्ड (थ) में,
  - (क) व्याख्या (1) के बाद, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्:–
    - "(1 क) व्यापार योग्य फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सेक्टर सड़क या हरित पट्टी तथा खुले क्षेत्र अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध अनुज्ञात किया जा सकता है।;";
  - (ख) व्याख्या (2) के बाद, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्:--
    - "(3) उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट पॉलिसी जैसे नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी; के अधीन अनुमोदित परियोजनाएँ प्लॉटऐबल क्षेत्र की बजाय फर्श क्षेत्र अनुपात तथा सघनता पैरामीटर से शासित होगी;";
- (vi) खण्ड (फ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--
  - '(फ) "अटारी" से अभिप्राय होगा, अधिकतम 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित अवशिष्ट स्थल पर दो मंजिलों के बीच का मध्यवर्ती स्थल तथा जो केवल भंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित की गई है अथवा अपनाई गई है':
- (vii) खण्ड (ब) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
  - '(ब) "परछती तल" से अभिप्राय है, निम्न मंजिल का 1/2 (आधा) तक सीमित क्षेत्र सहित तथा न्यूनतम ऊँचाई 2.3 मीटर सहित दो मंजिलों के बीच कोई मध्यवर्ती मंजिल और ऊपरी मंजिल स्तर 2.3 मीटर से कम नहीं होगा;';
- (2) 'VII सरकारी उद्यमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सैक्टर' उपशीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उप—शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :--

"VII केवल सरकारी उद्यमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सैक्टर:--

केवल सरकार अपने द्वारा या उसकी एजेंसियों द्वारा विकास के लिए कोई सेक्टर अधिसूचित कर सकती हैं, ऐसे मामले में ऐसे सेक्टरों में भूमि उपयोग के परिवर्तन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आगे कोई भी अनुमति अनुमत नहीं की जाएगी ।";

- (3) 'VIII मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षण' शीर्ष में, पैरा (2) के बाद, निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
  - "(3) हिरयाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा प्राईवेट उपनिवेशकों द्वारा विकिसत किए जाने वाले सैक्टर/कालोनी के लिए विन्यास योजनाओं को अनुमोदित करते समय मुख्य सड़कों तथा निकटवर्ती हिरत पट्टी यिद कोई हो, के अधीन पड़ने वाले क्षेत्र को केवल 50 प्रतिशत का लााभ प्लाटिड/ग्रुप हाउसिंग कालोनी में प्लाटऐबल क्षेत्र/एफ.ए.आर. के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। वाणिज्यिक कालोनी तथा सूचना टैक्नोलोजी पार्क/साईबर सिटी की दशा में स्थल के कुल क्षेत्र के 10 प्रतिशत फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ या हिरत पट्टी तथा सैक्टर सड़क में आने वाला क्षेत्र, इसमें से जो भी कम हो, अनुमत किया जाएगा। व्यापारयोग्य फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सेक्टर सड़क या हिरत पट्टी तथा खुले क्षेत्र अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञिप्तयों के विरुद्ध अनुज्ञात किया जा सकता है।";
- (4) 'XIII विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लाटों का न्यूनतम आकार' उप–शीर्ष में, विद्यमान पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—
  - "(2) रिहायशी और वाणिज्यिक विकास के लिये वर्ग आवास कालोनी, प्लाटिड रिहायशी कालोनी और वाणिज्यिक कालोनी के लिए, क्षेत्र मानदण्ड समय—समय पर अधिसूचित पॉलिसियों के अनुसार होंगे। तथापि, यदि वर्ग आवास स्कीम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ग आवास स्थल का आकार स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट होगा।";
- (5) 'XIV विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र, ऊँचाई और आकार' उप–शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उप–शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"XIV विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र, ऊँचाई और आकार :--

विशिष्ट प्लॉट/स्थान पर अनुमत आच्छादित क्षेत्र, फर्श क्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई पैरामीटर, भवन संहिता/नियमों तथा/या ऐसे प्लाट/क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित विहित पॉलिसी द्वारा शासित होगा। ";

(6) "XV भवनों की अगली ओर पिछली ओर व भुजा की ओर भवन पंक्ति" उप–शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उप शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"XV भवनों की अगली ओर तथा पिछली ओर भवन पंक्ति" :--

ये भवन संहिता / नियमों के अनुसार तथा / या ऐसे क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित अनुसार उपबन्धित होगी।":

(7) 'XVI वास्तुकला संबंधी नियंत्रण' उप शीर्ष में, निम्नलिखित उप–शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-"XVI वास्तुकला संबंधी नियंत्रण:-

जहां कहीं वास्तुकला सम्बन्धी नियंत्रण आवश्यक समझा जाता है, तो प्रत्येक भवन हरियाणा भवन संहिता, 2017 के खण्ड 6.4 के अधीन बनाये गए वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा।";

(8) XVIII सघनता' उप–शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उप–शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-"XVIII सघनता:-

दोनों ओर से 20 प्रतिशत की विभिन्नता सिहत प्रत्येक रिहायशी सैक्टर ड्राईंग में दर्शाई गई सैक्टर सघनता तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, अफोर्डऐबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी में यथा विहित सघनता में विकसित किया जायेगा। 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी रिहायशी सैक्टर में भी लागू होगी।"

आनंद मोहन शरन, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग। अपूर्व कुमार सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

#### HARYANA GOVERNMENT

#### URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

#### AND

#### TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

#### **Notification**

The 27th February, 2019

No.CCP(NCR)/RE(DHA)/FDP-2021/2019/579.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (7) of Section 203 C of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and Sub-section (7) of section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department and Town and Country Planning Department, notification No. CCP(NCR)/RE(DHA)/FDP-2021/2016/3311, dated the 7th December, 2016, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Final Development Plan 2021 AD, Dharuhera, notified *vide* Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No. CCP(NCR)/RE(DHA)/FDP/2007/4496, dated the 28th December, 2007 and published in the Haryana Government Gazette(Extraordinary), dated the 28th December, 2007 for Dharuhera alongwith restrictions and conditions, given in Annexure A and B applicable to the controlled area specified in Annexure B, namely:-

#### Amendment

In the Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No. CCP(NCR)/RE(DHA)/FDP/2007/4496, dated the 28th December, 2007;—

I. In Annexure- A, under the heading "PROPOSED LAND USES," under sub-head – "(1) RESIDENTIAL," in the 3rd line, for words, sign and figure, "An area of 725 hectares has been earmarked for residential use giving an average residential density of 300 persons per hectare.", the following words, signs and figures shall be substituted, namely:-

"An area of 725 hectares has been earmarked for residential use. Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy, Affordable Group Housing policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy. 20% Group Housing component policy shall also be applicable in a residential sector.

Apart from above, the development will be allowed as per 'Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)' and 'Affordable Housing Policy-2018 for core area' introduced by the Urban Local Bodies Department on 17th May, 2018 and 26th June, 2018 respectively, as amended up to date."

- 2. In Annexure- B-
  - (1) under sub-head II "Definitions";-
    - (i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
      - '(a) "approved" means approved by the competent authority;';
    - (ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely;
      - '(ba) "Building Code" means, the Haryana Building Code 2017;";
    - (iii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:
      - "Floor Area Ratio (FAR)" means a quotient obtained by dividing the multiple of the total covered area of all floors and hundred, by the area of plot i.e.

$$FAR = \frac{\text{total covered area}}{\text{plot area}} \times 100;$$

For the purpose of calculating FAR, cantilevered permitted roof projections, lift room mumty, balcony, basement or any floor if used for parking, services and storage, stilt area (unenclosed) proposed to be used for parking/pedestrian plaza only, open staircase (without mumty), terrace with or without access, fire staircase, atrium, water tank, open court yard of permitted size shall not be counted towards FAR:

Provided, area under shaft, chutes, lift well and staircase from stilt to next floor shall be counted towards FAR only at once on ground floor:

Provided further that in case the ventilation shaft area is more than 3 square metres, it shall not be counted in FAR;';

- (iv) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-
  - '(e) "Group Housing" means a building designed and developed in the form of flats for residential purpose or any building ancillary to group housing;';
- (v) in clause (q), the following explanations shall be inserted, namely:-
  - (a) after EXPLANATION (1),
    - "(1A) Benefit of tradable FAR, may be allowed against licences granted for the land falling under sector road or green belt and open space zones in accordance with specified policies";
  - (b) after Explanation (2),
    - "(3) Not withstanding above, the projects approved under specific policy like New Integrated Licensing Policy; Floor Area Ratio and density shall be the governing parameters instead of plotable area;"
- (vi) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-
  - '(v) "Loft" means an intermediate space between two floors on a residual space with maximum height of 1.5 metres and which is constructed or adopted for storage purposes only;"
- (vii) for clause (w), the following clause shall be substituted, namely:-
  - '(w) "mezzanine floor" means an intermediate floor, between two floors, with area restricted to ½ (half) of the lower floor and with a minimum height of 2.3 metres and shall not be lower than 2.3 metres above floor level;';
- (2) under sub head VII "Sectors to be developed exclusively through government enterprises";-
  - (a) for the existing clauses (1) and (2), the following clause shall be substituted, namely:-
    - "Government may notify any sector for development exclusively by it or by its agencies, in which case, no further permission for change of land use or grant of licence shall be permitted in such sectors.";
- under sub head VIII, "Land reservations for major roads" in sub para (3), after the words and sign "whichever is less shall be allowed" existing at the end, the following words shall be added, namely:-
  - "Benefit of tradable Floor Area Ratio, may be allowed against licences granted for the land falling under sector road or green belt and open space zones in accordance with specified policies.";
- (4) under sub head XIII, "Minimum size of plots for various types of buildings" for clause (2), the following clause shall be substituted, namely:-
  - "(2) The area norms for group housing colony, plotted residential colony and commercial colony will be in accordance with the policies specified from time to time for residential and commercial development. However, in case group Housing scheme is floated by Haryana Urban Development Authority or any other Government Agency, the size of Group Housing site shall be as specified in the scheme.";
- (5) under sub head XIV," Site coverage, height and bulk of building under various types of buildings", for the existing clause, following clause shall be substituted, namely:-
  - "The site coverage, Floor Area Ratio and height permitted on a specific plot/site shall be governed by the prescribed policy parameters, building code/rules and/or as laid down in the zoning plan of such plot/site.";
- (6) under sub head XV, "Building lines in front and rear of buildings", for the existing clause, following clause shall be substituted, namely:-
  - "These shall be provided in accordance with building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such site.";

- (7) under sub head XVI, "Architectural Control", for the existing clause, following clause shall be substituted, namely:-
  - "Wherever architectural control is considered necessary, every building shall conform to architectural control prepared under clause 6.4 of Haryana Building Code 2017.";
- (8) under sub head XVIII, "Density", for the existing clause, the following clause shall be substituted, namely:-

"Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New integrated Licensing Policy, Affordable Group Housing policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy. 20% of Group Housing component policy shall also be applicable in a residential sector."

ANAND MOHAN SHARAN, Principal Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department. A. K. SINGH, Principal Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department.

56914—C.S.—H.G.P., Chd.